संख्या– 786 / पाँच–5– 2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
3. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।**
4. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।**

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2020**

विषयः–प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित संगरोध (Quarantine) फैसिलिटी हेतु संशोधित परिचालन दिशा–निर्देश (Operational Guidelines)।

महोदय,

कोविड–19 रोग के संचरण को रोकने हेतु संदिग्ध व्यक्तियों को क्वारेन्टाईन फैसिलिटी में रखा जाना अनिवार्य है। संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक होने पर एक से अधिक स्थानों पर क्वारेन्टाईन फैसिलिटी स्थापित की जा सकती है। जनपद में स्थापित किसी एक क्वारेन्टाईन फैसिलिटी पर सैम्पल कलेक्शन सेन्टर स्थापित किया जाये जहां सुबह 08:00 बजे से सायंकाल 08:00 बजे तक सैम्पल कलेक्शन हेतु नियमानुसार उचित प्रबन्ध किये जायें। तब्लीगी जमात से आये समस्त व्यक्तियों को पृथक फैसिलिटी में क्वारेन्टाईन किया जायेगा।

2– प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित संगरोध (Quarantine) फैसिलिटी हेतु संशोधित परिचालन दिशा–निर्देश (Operational Guidelines) निम्नवत् हैं :–

(1) Quarantine Facility **में निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों को भर्ती किया जायेगा :–**

- ऐसे व्यक्तियों को जिनके द्वारा विगत् 14 दिवसों में विदेश की यात्रा की गई हो अथवा विदेश से आये व्यक्तियों के सम्पर्क में आये हों एवं उनमें खांसी, बुखार तथा सांस लेने में कष्ट के लक्षण प्रकट हुए हों।
- COVID-19 पुष्टि हुए व्यक्ति के निकट सम्पर्क में निवास कर रहे समस्त परिवारीजन।
- COVID-19 पुष्टि हुए व्यक्ति के सम्पर्क में आए हुए परिवारीजनों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों को जिनमें अभी तक लक्षण प्रकट न हुए हों एवं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक एवं जो को–मॉर्बिडिटी जैसे श्वास की बीमारी मधुमेह हृदय रोग आदि से पीडित हों।
- चिकित्सालयों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी जो कोविड–19 मरीज की सेवा में हों एवं उनमें लक्षण प्रकट हुए हों।
- तब्लीगी जमात से आये हुए समस्त व्यक्तियों को।

(2) Quarantine Facility **में भर्ती किये जाने की प्रकिया :–** Quarantine हेतु चिन्हित स्थल को दो भागों में विभाजित किया जायेगा :–

- प्रथम भाग में उपरोक्त वर्णित प्रकारों में कोविड–19 के लक्षण प्रकट हुए संदिग्ध व्यक्तियों को भर्ती किया जायेगा।

- द्वितीय भाग में ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जिनमें कोविड–19 के लक्षण प्रकट नही हुए हों, को भर्ती किया जायेगा।
- द्वितीय भाग में भर्ती संदिग्ध व्यक्ति में लक्षण प्रकट होते ही तत्काल प्रथम भाग में स्थानान्तरित किया जाये।
- दो बिस्तरों के बीच में कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये।
- क्वारेन्टाइन फैसिलिटी में भर्ती लक्षणों वाले समस्त व्यक्तियों एवं तब्लीगी जमात से आये समस्त व्यक्तियों का तत्काल सैम्पल लेकर उसकी कोविड–19 हेतु जाँच करायी जाये।
- जाँच में कोविड–19 पॉजिटिव आने पर नियमानुसार उनको तत्काल कोविड फैसिलिटी (आइसोलेशन) में स्थानान्तरित किया जाये।

(3) तब्लीगी जमात से आये लोगों के लिये अलग से फैसिलिटी की व्यवस्था करना। जमातियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक बेड से दूसरे बेड के बीच कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये।

क्वेरेन्टाइन में भर्ती किए जाने वाले समस्त व्यक्तियों को 14 दिन तक अनिवार्य रूप से क्वारेन्टाईन फैसिलिटी में रखा जाये।

ध्यान देने योग्यः–

- प्रथम भाग से द्वितीय भाग में स्वास्थ्य कर्मियों के अतिरिक्त आवागमन को पूर्ण रूप से अवरूद्ध रखा जायेगा।
- स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा इनफेक्शन प्रिवेन्शन हेतु प्रशिक्षण में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
- संगरोध (Quarantine) इकाई को दिशा–निर्देशानुसार विसंक्रमित किया जाये।

मानव संसाधनः प्रत्येक क्वारेन्टाईन फैसिलिटी पर चिकित्सक दल तैनात रहेगा जिसका विवरण निम्नवत् हैः–(100 व्यक्तियों के लिये प्रतिशिफ्ट 08 घंटे)

1. मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ/पुरूष आयुष संविदा चिकित्सक– 02
2. वार्डब्वाय – 02 (आउटसोर्स के माध्यम से)
3. स्वीपर–02 (आउटसोर्स के माध्यम से)
4. सिक्योरिटी गार्ड– 01 (आउटसोर्स के माध्यम से)
5. जनपद में स्थापित किसी एक क्वारेन्टाईन फैसिलिटी पर प्रातः 08:00 बजे से सांयकाल 08:00 बजे तक सैम्पल कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। प्रत्येक सैम्पल कलेक्शन केन्द्र पर इन्फेक्शन प्रिवेन्शन प्रोटोकॉल का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं एकत्रित किये गये सैम्पल को ट्रिपल लेयर पैकेजिंग में पैक कर कोल्डचेन सुनिश्चित करते हुये समयबद्ध रुप से सम्बन्धित प्रयोगशाला में जांच हेतु प्रेषित किया जाये।

- लैब टेक्नीशियन–02 (दो शिफ्ट में–प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक एवं अपरान्ह 02:00 बजे से सायंकाल 08:00 बजे तक)

उपरोक्त स्टाफ हेतु प्रत्येक फैसिलिटी पर ट्रिपल लेयर मास्क, पी0पी0ई0 किट, N-95 मास्क, ग्लब्स, हैंड सेनेटाइजर तथा साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। उपरोक्त के अतिरिक्त हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर, बैग्स एवं कलर कोडेड बिन्स् की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए।

कीटाणु शोधन और परिशोधन प्रक्रियाः संगरोध (Quarantine)

1. मॉपिंग करने हेतु ब्लीचिंग घोल का प्रयोग किया जाये। प्रति लीटर 30 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर पानी में घोल कर ब्लीचिंग घोल तैयार किया जायेगा एवं प्रतिदिन दो बार मॉपिंग किया जायेगा।
2. बेड शीट, तकिये कवर प्रतिदिन बदले जायें।
3. निरन्तर सम्पर्क में आने वाली सतहों जैसे–दरवाजे के हैन्डल, रेलिंग, लिफ्ट बटन, इलेक्ट्रिकल ऑन–ऑफ स्विच, कुर्सियाँ, मेज, उपकरण आदि को दिन में 02 बार 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से विसंक्रमित करेंगे।
4. टॉयलेट/वाशरूम को परिशोधन करने हेतु ब्लीचिंग घोल का प्रयोग करेंगे।
5. 07 फीट तक दीवार को ब्लीचिंग घोल का प्रयोग कर मॉपिंग किया जायेगा।
6. बेडशीट, तकिया कवर आदि पर पहले 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का स्प्रे कर उसे प्लास्टिक बैग में बन्द कर लॉन्ड्री में गर्म पानी व डिटर्जेंट से धुलाई हेतु भेजा जाये। धुलाई उपरान्त तेज धूप में 03 घंटों तक दोनों साइड से सुखाया जाये।
7. हैंड सेनेटाइजर एवं साबुन से हाथ धोने की सुविधा।
8. वेस्ट के निस्तारण हेतु बायोमेडिकल वेस्ट गाईड लाइन के अनुसार बैग्स एवं कलर कोडेड बिन्स उपलब्ध कराये जायें।

क्वारेन्टाईन में भर्ती व्यक्तियों के खाने–पीने की उचित व्यवस्था पूर्व में उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में व्याप्त कोरोना वायरस के प्रकोप एवं उसके रोकथाम हेतु क्वारेन्टाईन के सम्बन्ध में उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या– 786 (1)/ पॉच–5–2020 तद्दिनॉक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

05/03/2020
05/03/2020

sunil sir go com-3